न्यायालय सहायक कलक्टर, आबूपर्वत

पीठासीन अधिकारी – श्री कनिष्क कटारिया, आई.ए.एस.

प्रार्थीया	बनाम	अप्रार्थीगण
श्रीमती शान्ता कुंवर पत्नि श्री माधोसिंह , जाति राव निवासी आमथला जरिए पॉवर ऑफ एट्रोनी होल्डर श्री माधोसिंह पुत्र श्री भूरसिंह , जाति राव , निवासी आमथला।		चन्दनसिंह पुत्र भुपतसिंह , जाति राव, निवासी कारोली व अन्य – 1।

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 4/2020

दिनांक 29.04.2022

निर्णय

यह कि प्रार्थीया द्वारा प्रार्थना पत्र तहत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश कर कथन किया कि मौजा कारोली पटवार क्षेत्र आमथला भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र आबूपर्वत तहसील देलदर में प्रार्थीया के खातेदारी, स्वामित्व की खसरा संख्या 325/1, 578/325 , कुल कीता – 02, कुल रकबा 17–08 बीघा कृषि भूमि आयी है। उक्त कृषि भूमि पर प्रार्थीया गत 20 वर्षो से अधिक समय से लगातार काश्त करती आ रही है। यह कि प्रार्थीया की कृषि भूमि खसरा संख्या 325/1 से लगती हुई अप्रार्थी की खसरा संख्या 326 व 327 की भूमि स्थित है, दोनो भूमि के मध्य लोर (माठ) करीब 20 वर्ष पूर्व से बनी हुई है एवं दोनो भूमि को विभेदित लोर (माठ) द्वारा की हुई है एवं लोर(माठ) में बड़े बड़े पेड़ खड़े है। यह कि पूर्व में भू–प्रबंध अधिकारी सिरोही के आदेशानुसार सर्वे दल द्वारा मौके की पेमाईश कर एवं सीमाज्ञान कर मौका रिपोर्ट तैयार की गई व मौका रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीया के कब्जे में उसके खातेदारी की भूमि ही है। खातेदारी से अधिक भूमि नही है। यह कि पूर्व में तहसीलदार के आदेश से मौके पर करीब 20 वर्ष पूर्व नापजोख कर सीमाज्ञान किया गया था, तब से लगातार प्रार्थीया अपनी भूमि पर कब्जा काश्त है एवं अप्रार्थी संख्या 1 भी अपने स्वयं की भूमि पर गत 20 वर्षो से काबिज है एवं कभी भी अप्रार्थी ने कब्जे बाबत कोई एतराज नही किया है। यह कि आज से दो दिन पहले अप्रार्थी संख्या 01 मौके पर आया एवं भूमि की नपाई कराने का कहा, जिस पर अप्रार्थी संख्या 01 को प्रार्थीया की भूमि अपने स्वयं की होने के कारण सर्वप्रथम स्वयं की भूमि की नपाई कराने का कहने पर नाराज हुआ एवं अप्रार्थी संख्या 01 जेसीबी लेकर आया तथा बाड़ तोड़ दी एवं जेसीबी से पेड़ो को गिराने की कोशिश की उसे बड़ी मुश्किल से रोका तब धमकी देकर गया कि रात को पेड़ो को गिराकर प्रार्थीया की भूमि पर कब्जा कर लेगा। अप्रार्थी संख्या 01, दो तीन राजस्व कर्मचारियो को भी साथ में लेकर आया जिन्होंने भी बगैर कोई नाप जोख किये प्रार्थीया को उस भूमि से कब्जा हटाकर प्रार्थी को दिलाने का कहा, जिस पर प्रार्थीया ने बगैर न्यायालय के आदेश से भूमि का नाप जोख करने से इन्कार कर हरे पेड़ो को नही काटने की गुहार की तब राजस्व कर्मचारी चले गये। अप्रार्थी संख्या 01 प्रार्थीया की भूमि पर कब्जा करने की नियत से धमकी दी है कि वह रातो रात भूमि पर पेड़ हटाकर कब्जा कर लेगा, मना करने पर मरने मारने पर उतारू हो रहा है। यह कि प्रार्थीया ने अप्रार्थी संख्या 02 को उक्त प्रकरण की जानकारी दिनांक 25.06.2020 को दी एवं पेड़ो की सुरक्षा [illegible] अप्रार्थी संख्या 01 जोरजबरदस्ती प्रार्थीया की भूमि पर अतिक्रमण करने हेतु आमदा है। [illegible] भय है कि अप्रार्थी रात्रि में ही जेसीबी द्वारा पेड़ो को गिरा देगा एवं प्रार्थीया की भूमि पर [illegible] अतिक्रमण कर लेगा, इस कारण यह प्रार्थना पत्र पेश किया है। यह कि प्रार्थीया [illegible] में प्रथम दृष्टया मजबूत वाद है प्रार्थीया खातेदार कृषक है। सम्पूर्ण भूमि प्रार्थीया की है। प्रार्थीया की भूमि में अनाधिकृत प्र[illegible] भूमि पर कब्जा करने पर प्रार्थीया को बड़ी भारी असुविधा होगी एवं प्रार्थीया को अपूरक क्ष[illegible] एवं बहुविवाद में उलझना पड़ेगा। प्रार्थीया अपनी भूमि का उपयोग उपभोग नही कर सकेगी, जिसका आंकलन अर्थ में नही किया जा सकेगा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanishak Kataria
Date: 2022.06.06 15:59:11 IST
Reason: SelfAttested

हमने प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये। अप्रार्थीगण को जारी नोटिस तामिल शुदा प्राप्त होने से शामिल मिसल किया गया।

अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से जवाब पेश कर कथन किया कि खसरा संख्या 326 व 327 की कृषि भूमि अप्रार्थी संख्या 01 के खातेदारी एवं कब्जे काश्त कृषि भूमि है, उक्त कृषि भूमि में अप्रार्थी संख्या 01 के समस्त हक अधिकार पूर्णतया बतौर खातेदार विद्यमान है एवं अप्रार्थी संख्या 01 उक्त कृषि भूमि पर अपने परिवार सहित काबिज होकर आज दिन तक कृषि कार्य करता चला आ रहा है। प्रार्थीया की कृषि भूमि एवं अप्रार्थी संख्या 01 के खातेदारी की खसरा संख्या 326 की कृषि भूमि के मध्य स्थित लोर (माठ) से लगते हुए अप्रार्थी संख्या 01 ने अपने स्वयं के खर्चे से करीब 40–50 नीम के व अन्य वृक्ष लगाये हुए है, जो अप्रार्थी संख्या 01 के स्वामित्व के है, जिससे प्रार्थीया को कोई लेना देना नहीं है। प्रार्थीया ने मिथ्या साक्ष्य गढ़ने के दुराशय से प्रार्थीया एवं अप्रार्थी संख्या 01 की कृषि भूमि के मध्य स्थित लोर (माठ) में पेड़ो का खड़ा होना बताया है एवं खसरा संख्या 326 व 327 की कृषि भूमि मौके पर भौगोलिक स्थिति अनुसार अलग–अलग स्थित है, दोनो खसरे आपस में लगते हुए नहीं है। कि प्रार्थना पत्र के पद संख्या 04 को अस्वीकार कर कथन किया कि भू–प्रबंध अधिकारी सिरोही के किस आदेशानुसार कौनसे सर्वे दल द्वारा कब मौके पर पैमाईश कर एवं सीमाज्ञान कर कब मौका रिपोर्ट तैयार की गई तथा किस मौका रिपोर्ट अनुसार कौनसी कृषि भूमि प्रार्थीया के कब्जे में उसके खातेदारी की भूमि ही है, इस संबंध में प्रार्थीया ने जानबुझकर स्पष्ट अभिवचन नहीं किये है। कि प्रार्थना पत्र के पद संख्या 05 को अस्वीकार कर कथन किया कि पद में वर्णितानुसार 20 वर्ष पूर्व कब व किस कृषि भूमि का तहसीलदार द्वारा सीमाज्ञान किया गया था , एवं तब से प्रार्थीया सीमाज्ञान अनुसार किस भूमि पर काबिज है उसका कोई स्पष्ट उल्लेख जानबुझकर प्रार्थीया द्वारा नही किया गया है, जो प्रार्थीया की बदनियति का स्पष्ट प्रमाण है। कि प्रार्थना के पद संख्या 06 को अस्वीकार कर कथन किया कि वाद प्रस्तुती से दो दिन पहले अप्रार्थी संख्या 01 ने मौके पर आकर प्रार्थीया को भूमि नपाई का कभी नहीं कहा, न ही नाराज हुआ। अप्रार्थी संख्या 01 मौके पर कोई जे.सी.बी. कभी लेकर गया ही नही तो बाड़ तोड़ने, जे.सी.बी. से पेड़ो को गिराने एवं रात को पेड़ो को गिराने की धमकी देने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। कि प्रार्थना पत्र के पद संख्या 07 को अस्वीकार कर कथन किया कि प्रार्थीया दिनांक 25.06.2020 को पेड़ो की सुरक्षा करने की गुहार लगाने का प्रश्न ही उत्पन्न नही होता है, क्योंकि प्रार्थीया का उक्त पेड़ो से कोई लेना देना नहीं है, न ही उक्त पेड़ प्रार्थीया के स्वामित्व के है और न ही उक्त पेड़ प्रार्थीया की भूमि में लगे हुए है। प्रार्थीया ने जिन पेड़ो की सुरक्षा की गुहार लगाने का कथन किया है वह तमाम पेड़ अप्रार्थी संख्या 01 की खातेदारी की कृषि भूमि में लगे हुए है। कि अप्रार्थी संख्या 01 कभी भी जोर जबरदस्ती से प्रार्थीया की भूमि पर कोई अतिक्रमण करने पर आमादा नहीं है। प्रार्थीया उक्त मिथ्या प्रार्थना पत्र की आड़ में अप्रार्थी संख्या 01 के विरूद्ध किसी भी प्रकार की स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने की अधिकारीणी नही है। प्रार्थीया व उसके परिवारजन अप्रार्थी संख्या 01 को उसके खातेदारी हक हिस्से व अधिकार की कृषि भूमि से जबरन बेदखल कर हड़प करना चाहते है । यदि प्रार्थीया के पक्ष में किसी प्रकार की निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो प्रार्थीया व उसके परिवारजन अन्य लोगो के सहयोग से अप्रार्थी संख्या 1 को उसके विधिक भौतिक कब्जे एवं खातेदारी की भूमि से अवैध रूप से बलपूर्वक बेदखल कर देगी और अप्रार्थी संख्या 1 के कब्जे काश्त की भूमि में खड़े हरे पेड़ो को नष्ट कर देगी, जिससे अप्रार्थी संख्या 1 कड़ी मेहनत एवं अत्यधिक धन राशि खर्च कर लगाये पेड़ो एवं कृषि योग्य बनायी गई उपजाऊ भूमि के उपयोग उपभोग करने से अप्रार्थी संख्या 1 वंचित हो जायेगा व अप्रार्थी संख्या 1 के विधिक अधिकार नष्ट प्रायः हो जायेगें, जिससे अप्रार्थी संख्या 1 को अत्यधिक क्षति होगी तथा जो क्षति होगी उसका मूल्याकंन द्रव्य में किया जाना संभव नही होगा, जो अप्रार्थी संख्या 1 को अपूर्तनीय क्षति कारित करेगा तथा वाद बाहुल्यता एवं जटिलतायें भी बढ़ेगी। जबकि प्रार्थीया को कोई अपूर्तनीय क्षति कारीत नही होगी। अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanishak Kataria
Date: 2022.06.06 15:39:11 IST
Reason: SelfAttested

हमने उभय पक्ष बहस सुनी। पत्रावली पर उपलब्ध [illegible] का अवलोकन किया। बहस पर मनन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो अनुसार प्रार्थीया [illegible] ग्राम कारोली पटवार क्षेत्र आमथला भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र आबूपर्वत, तहसील देलदर में प्रार्थीया के खातेदारी, स्वामित्व की खसरा संख्या 325/1, 578/325 , कुल किता – 02, कुल रकबा 17–08 बीघा कृषि भूमि आयी है एवं अप्रार्थी संख्या 01 की खसरा संख्या 326 व 327 की भूमि स्थित है । हमारे सामने 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में व्यादेश हेतु तीन शर्ते आवश्यक है:–

1. प्रथम दृष्ट्या मामला :– मौजा कारोली पटवार क्षेत्र आमथला, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र आबूपर्वत, तहसील देलदर में प्रार्थीया के खातेदारी, स्वामित्व की खसरा संख्या 325/1, 578/325 , कुल – 02 , कुल रकबा 17–08 बीघा कृषि भूमि आयी है, अप्रार्थी सं. 1 ने अपने जवाब में भी इसको सत्य माना है। अतः प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थीया के पक्ष में साबित होता है।

2. सुविधा का संतुलन :– मौजा कारोली पटवार क्षेत्र आमथला, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र आबूपर्वत, तहसील देलदर में प्रार्थीया के खातेदारी, स्वामित्व की खसरा संख्या 325/1, 578/325 , कुल कीता – 02 , कुल रकबा 17–08 बीघा कृषि भूमि आयी है। अतः रेकर्ड के आधार पर सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीया के पक्ष में साबित होता है।

3. अपूर्तनीय क्षति :– प्रार्थीया यह साबित करने में असफल रही कि अप्रार्थी सं. 1 द्वारा उसकी भूमि में अनाधिकृत प्रवेश किया जायेगा व उसके द्वारा प्रार्थीया को अपूर्तनीय क्षति होगी। अतः प्रार्थीया अपूर्तनीय क्षति अपने हक में साबित करने में असफल रही।

अतः प्रार्थीया द्वारा अपूर्तनीय क्षति अपने हक में साबित करने में असफल रहने से प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र तहत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम परिपोषनीय नहीं होने से खारिज योग्य है।

आदेश

यह कि प्रश्नगत आराजी ग्राम कारोली पटवार क्षेत्र आमथला भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र आबूपर्वत, तहसील देलदर में प्रार्थीया के खातेदारी, स्वामित्व की खसरा संख्या 325/1, 578/325 , कुल कीता – 02, कुल रकबा 17–08 बीघा कृषि भूमि आयी है एवं अप्रार्थी संख्या 01 की खसरा संख्या 326 व 327 की भूमि स्थित है ।

विवेचन के आधार पर प्रार्थीया अपूर्तनीय क्षति अपने हक में साबित करने में असफल रही है। अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र तहत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम परिपोषनीय नहीं होने से खारिज किया जाता है। प्रार्थीया द्वारा किये गये अपने कथनों के गुण अवगुणो का निस्तारण इस प्रकरण के मूल वाद के निर्णय के समय किया जा सकता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 29.04.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

29.4.22

(कनिष्क कटारिया) I.A.S.
सहायक कलक्टर, आबूपर्वत

Signature Not Verified

Digitally signed by Kanishak Kataria
Date: 2022.06.06 15:59:11 IST
Reason: SelfAttested